

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 95]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च 2020—फाल्गुन 16, शक 1941

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

फा. 12-वि.निर्वा.-2020-चार-12

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2020

भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) एवं भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं:-

1. F.No.H.11024/1/2020-Leg.II दिनांक 6.03.2020
2. क्रमांक 318/CS-Multi//2020(1) दिनांक 6.03.2020
- 3- क्रमांक 318/CS-Multi/2020(2) दिनांक 06.03.2020

अरुण तोमर, सचिव.

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 6 मार्च 2020—फाल्गुन 16, 1941 (शक)

अधिसूचना

क्र.आ. (अ)-- राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के उन सदस्य (सदस्यों) के स्थान (स्थानों) को भरने के प्रयोजन के लिए, जिनकी पदावधि उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में इल्लिखित तारीख को समाप्त होनी है, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य (सदस्यों) को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं :-

क्रम सं.	राज्य का नाम	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या	निवृत्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महाराष्ट्र	7	02.04.2020
2.	ओडिशा	4	
3.	तमिलनाडू	6	
4.	पश्चिमी बंगाल	5	
5.	आंध्र प्रदेश	4	09.04.2020
6.	तेलंगाना	2	
7.	असम	3	
8.	बिहार	5	
9.	छत्तीसगढ़	2	
10.	गुजरात	4	
11.	हरियाणा	2	
12.	हिमाचल प्रदेश	1	
13.	झारखंड	2	
14.	मध्य प्रदेश	3	
15.	मणिपुर	1	
16.	राजस्थान	3	
17.	मेघालय	1	12.04.2020

[फा. सं. एच.11024/1/2020-वि.02]

हस्ता./-
(डा. रीटा वशिष्ठ)
अपर सचिव,
भारत सरकार.

GOVERNMENT OF INDIA

Ministry of Law and Justice
(Legislative Department)

New Delhi, Dated 6th March, 2020—Phalguna 16, 1941 (Saka).

NOTIFICATION

S.O..... (E).—In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in column (2) of the table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of member(s) specified against each State in column (3) of the said table, for the purpose of filling the seat(s) of member(s) of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said table, on the expiration of their term of office: -

S.No.	Name of State	No of seats to be filled	Date of retirement
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Maharashtra	7	02.04.2020
2	Odisha	4	
3	Tamil Nadu	6	
4	West Bengal	5	
5	Andhra Pradesh	4	09.04.2020
6	Telangana	2	
7	Assam	3	
8	Bihar	5	
9	Chhattisgarh	2	
10	Gujarat	4	
11	Haryana	2	
12	Himachal Pradesh	1	
13	Jharkhand	2	
14	Madhya Pradesh	3	
15	Manipur	1	
16	Rajasthan	3	12.04.2020
17	Meghalaya	1	

[F.No.H.11024/1/2020-Leg.II]

Sd./-

(Dr. REETA VASISHTA)

Additional Secretary to the Government of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च, 2020—फाल्गुन 16, 1941 (शक)

अधिसूचना

सं. 318/रा.स.-मल्टी/2020 (1)- यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी, और तारीख 06 मार्च, 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी

क्र. सं.	राज्य (1)	भरे जाने वाले स्थान (2)
1	महाराष्ट्र	7
2	ओडिशा	4
3	तमिलनाडु	6
4	पश्चिम बंगाल	5
5	आंध्र प्रदेश	4
6	तेलंगाना	2
7	असम	3
8	बिहार	5
9	छत्तीसगढ़	2
10	गुजरात	4
11	हरियाणा	2
12	हिमाचल प्रदेश	1
13	झारखण्ड	2
14	मध्य प्रदेश	3
15	मणिपुर	1
16	राजस्थान	3
17	मेघालय	1
	कुल-55	

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख - 13 मार्च, 2020 (शुक्रवार)
 (ख) नाम निर्देशनों की संविक्षा की तारीख - 16 मार्च, 2020 (सोमवार)
 (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 18 मार्च, 2020 (बुधवार)
 (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, - 26 मार्च, 2020 (गुरुवार), और
 (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 30 मार्च, 2020 (सोमवार), और

(आ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,
 हस्ता./-
 (सुमन कुमार दास)
 सचिव,
 भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001
 New Delhi, Dated 06th March, 2020—Phalguna 16, 1941 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318/CS-Multi/2020(1): - Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the Gazette of India on 06th March, 2020 been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of member(s) specified against that State in column (2) of the said TABLE:

TABLE

Sl. No.	Name of State	No. of members retiring
	(1)	(2)
1)	Maharashtra	7
2)	Odisha	4
3)	Tamil Nadu	6
4)	West Bengal	5
5)	Andhra Pradesh	4
6)	Telangana	2
7)	Assam	3

8)	Bihar	5
9)	Chhattisgarh	2
10)	Gujarat	4
11)	Haryana	2
12)	Himachal Pradesh	1
13)	Jharkhand	2
14)	Madhya Pradesh	3
15)	Manipur	1
16)	Rajasthan	3
17)	Meghalaya	1
Total		55

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 39 and section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) appoints, with respect to the said election;

(a) the 13th March, 2020 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) the 16th March, 2020 (Monday), as the date for the scrutiny of the nominations;

(c) the 18th March, 2020 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 26th March, 2020 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 30th March, 2020 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States on the date specified above for the election.

By order,

Sd./-

(SUMAN KUMAR DAS)

Secretary,

Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च, 2020—फाल्गुन 16, 1941 (शक)

अधिसूचना

सं. 318/रा.स.-मल्टी/2020 (2)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से 06 मार्च, 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एतद्द्वारा-

- (i) नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, तथा
- (ii) उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है;

सारणी

राज्य	रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
महाराष्ट्र	श्री राजेंद्र भागवत, सचिव (प्रभारी), महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय	1. श्री विलास गो. आठवले, उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय 2. श्री प्रकाशचंद्र श्रीराम खोंदले, अवर सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय
ओडिशा	श्री दशरथी सतपथी, आईएएस, सचिव, ओडिशा विधान सभा	श्री शिशिर कांता स्वैन, उप सचिव, ओडिशा विधान सभा
तमिलनाडु	थिरु के. श्रीनिवासन, सचिव, तमिलनाडु विधान सभा सचिवालय	थिरु बी. सुब्रमणियम, अपर सचिव, तमिलनाडु विधान सभा सचिवालय
पश्चिम बंगाल	श्री अभिजीत सोम, सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा	श्रीमती स्वस्ति आचार्य, संयुक्त सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा
आंध्र प्रदेश	श्री बालकृष्णामचारयुलु, सचिव, आंध्र प्रदेश राज्य विधानमंडल	श्री पी.वी. सुब्बा रेड्डी, सहायक सचिव, आंध्र प्रदेश राज्य विधानमंडल
तेलंगाना	डॉ. वी. नरसिम्हा चारयुलु, सचिव, राज्य विधानमंडल	श्री एस. दुर्गा प्रसाद, उप सचिव, राज्य विधानमंडल

असम	श्री अमरेंद्र नारायण डेका, अपर सचिव, असम विधान सभा	1. श्री दुलाल पेगु, संयुक्त सचिव, असम विधान सभा 2. श्री राजीव भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव, असम विधान सभा
बिहार	श्री बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव, बिहार विधान सभा, पटना	श्री भूषण कुमार झा, निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना
छत्तीसगढ़	श्री जी.एस. मूर्ति, अपर सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा	श्री दिनेश त्रिवेदी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा
गुजरात	श्री सी.बी.पंड्या, उप सचिव, गुजरात विधान सभा सचिवालय	श्रीमती रीटा मेहता, उप सचिव, गुजरात विधान सभा सचिवालय
हरियाणा	श्री अजीत बालाजी जोशी, आईएएस, महानिदेशक, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा, हरियाणा एवं सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	श्री नरेन दत्त, संयुक्त सचिव, हरियाणा विधान सभा
हिमाचल प्रदेश	श्री यश पॉल शर्मा, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा	श्री संजीव गुप्ता, अवर सचिव (विधान), हिमाचल प्रदेश विधान सभा
झारखण्ड	श्री महेन्द्र प्रसाद, सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची	श्री रंजीत कुमार, संयुक्त सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची
मध्य प्रदेश	श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा	श्री पुनीत कुमार श्रीवास्तव, संचालक, मध्य प्रदेश विधान सभा
मणिपुर	श्रीमती एम. रमानी देवी, सचिव, मणिपुर विधान सभा	श्री रोहित सपाम, संयुक्त सचिव, मणिपुर विधान सभा
राजस्थान	श्री प्रमिल कुमार माथुर, सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर	श्री महेश चन्द्र शर्मा, उप सचिव (सामान्य), राजस्थान विधान सभा, जयपुर
मेघालय	श्री एफ. जी. मोमिन, संयुक्त सचिव, मेघालय विधान सभा सचिवालय	श्रीमति एफ. खारसाईमियोंग, अवर सचिव, मेघालय विधान सभा सचिवालय

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 06th March, 2020—Phalguna 16, 1941 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318/CS-Multi/2020(2): - In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of each of the States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby-

- (i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer(s), specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the biennial election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the notification of the President of India, published in the Gazette of India on 06th March, 2020: -

TABLE

States	Returning Officer	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
Maharashtra	Shri Rajendra Bhagwat, Secretary (In-charge), Maharashtra Legislature Secretariat	1. Shri Vilas G. Athawale, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat 2. Shri Prakashchandra Shriram Khondalay, Under Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat
Odisha	Sri Dasharathi Satapathy, IAS, Secretary, Odisha Legislative Assembly	Sri Shishir Kanta Swain, Deputy Secretary, Odisha Legislative Assembly
Tamil Nadu	Thiru. K. Srinivasan, Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat	Thiru. B. Subramaniam, Additional Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat
West Bengal	Shri Abhijit Som, Secretary, West Bengal Legislative Assembly	Smt. Swasti Acharya, Joint Secretary, West Bengal Legislative Assembly
Andhra Pradesh	Sri P. Balakrishnamacharyulu, Secretary to Andhra Pradesh State Legislature	Sri P.V. Subba Reddy, Assistant Secretary, Andhra Pradesh State Legislature

Telangana	Dr. V. Narasimha Charyulu, Secretary to State Legislature	Sri S. Durga Prasad, Deputy Secretary to State Legislature
Assam	Shri Amarendra Narayan Deka, Additional Secretary, Assam Legislative Assembly	1. Shri Dulal Pegu, Joint Secretary, Assam Legislative Assembly 2. Shri Rajib Bhattacharyya, Joint Secretary, Assam Legislative Assembly
Bihar	Shri Bateshwar Nath Panday, Secretary, Bihar Vidhan Sabha, Patna	Shri Bhushan Kumar Jha, Director, Bihar Vidhan Sabha, Patna
Chhattisgarh	Shri G. S. Murthy, Additional Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha	Shri Dinesh Trivedi, Under Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha
Gujarat	Mr. C. B. Pandya, Deputy Secretary, Gujarat Legislature Secretariat	Mrs. Reeta Mehta, Deputy Secretary, Gujarat Legislature Secretariat
Haryana	Shri Ajit Balaji Joshi, IAS, Director General, Higher and Technical Education, Haryana and Secretary to Govt. Haryana, Higher and Technical Education Department	Shri Naren Dutt, Joint Secretary, Haryana Vidhan Sabha
Himachal Pradesh	Shri Yash Paul Sharma, Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha	Sh. Sanjeev Gupta, Under Secretary (Legislation), Himachal Pradesh Vidhan Sabha
Jharkhand	Shri Mahendra Prasad, Secretary, Jharkhand Vidhan Sabha, Ranchi	Shri Ranjeet Kumar, Joint Secretary, Jharkhand Vidhan Sabha, Ranchi
Madhya Pradesh	Shri A.P. Singh, Principal Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha	Shri Puneet Kumar Shrivastava, Director, Madhya Pradesh Vidhan Sabha
Manipur	Smt. M. Ramani Devi, Secretary, Manipur Legislative Assembly	Shri Rohit Sapam, Joint Secretary, Manipur Legislative Assembly
Rajasthan	Shri Pramil Kumar Mathur, Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur	Shri Mahesh Chandra Sharma Deputy Secretary (General), Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
Meghalaya	Shri. F. G. Momin, Joint Secretary, Meghalaya Legislative Assembly Secretariat	Smt. F. Kharsyiemiong, Under Secretary, Meghalaya Legislative Assembly Secretariat

By order,

Sd./-

(SUMAN KUMAR DAS)

Secretary,

Election Commission of India.